अध्याय IV : कार्य एवं सैन्य इंजीनियर सेवायें

4.1 परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत कार्यों के पूरा होने में अत्यधिक विलंब

सैन्य अस्पताल (एम एच) की परिचालन सैन्य आवश्यकताओं के लिए संस्वीकृत एक भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) का निर्माण करने में सैन्य अभिंयता सेवाओं द्वारा दस वर्षों तक का विलंब हुआ, जिससे प्रचालन में लगे सैन्य दल को इस सुविधा से वंचित होना पड़ा। ₹1.54 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य पूरा किया गया, जब तक कि एम एच को एक अलग जगह पर ले जाया गया था। परिसंपत्तियां अब अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

सीमा पर गोलाबारी की स्थिति में विद्यमान सैन्य अस्पताल (एम एच) के अप्रकार्यात्मक हो जाने की किसी भी संभाव्यता से बचने हेतु सैन्य अस्पताल (एम एच), तांगधर द्वारा भूमिगत ऑपरेशन थियेटर (यू जी ओ टी) के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। एम एच ने प्रस्ताव किया था कि अस्पताल में शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट तथा चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा आपात स्थिति में रोगी को निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए यू जी ओ टी का प्रयोग किया जा सकता है।

कोर के जनरल अफसर कमांडिंग ने अत्यावश्यक सैन्य एवं परिचालन कारणों से आवश्यकता को स्वीकार किया और यू जी ओ टी के निर्माण के लिए जुलाई 1999 में रक्षा निर्माण कार्यविधि (डी डब्ल्यू पी) के पैरा 11[13] का आह्वान करते हुए ₹70 लाख के लिए 'आगे बढ़ने की संस्वीकृति' प्रदान की। कार्य दो वर्षों के अंदर किया जाना था। रक्षा मंत्रालय द्वारा ₹1.39 करोड़ के लिए नियमित रूप से प्रशासनिक अनुमोदन नवंबर 2004 में प्रदान किया गया।

कार्य निष्पादन के लिए मुख्य अभियंता श्रीनगर क्षेत्र (सी ई एस ज़ेड) द्वारा सितंबर 2000 में ₹1.25 करोड की एकमुश्त राशि पर संविदा की गई, जिसके अनुसार कार्य समापन की तिथि 26 सितंबर 2002 थी। परिचालन अत्यावश्यकता के बावजूद एम ई एस परियोजना को समय पर पूरा नहीं कर सकी। निर्माण कार्य अनेक कारणों से विलंबित हुआ जैसे फर्श और दीवारों से रिसाव, जिसके कारण ऑपरेशन थियेटर में जलप्लावन जैसी स्थिति आ गई। मुख्यालय उत्तरी कमान द्वारा संविदाकार की ओर से

[13] डी डब्ल्यू पी का पैरा 11 का आह्वान अप्रत्याशित परिस्थितियों में किया जाता है, जो परिचालन सैन्य आवश्यकता से उत्पन्न होती है और साधारण कार्यविधि का लघुपथन करना अनिवार्य कर देती है।

खराब कारीगरी तथा एम ई एस द्वारा उचित पर्यवेक्षण के अभाव को इसके लिए कारण बताया गया।

अप्रैल 2008 में, एम एच जिसके लिए यू जी ओ टी का निर्माण किया जा रहा था, को एक अलग जगह (ड्रगमुला) पर स्थानांतरित कर दिया गया तथा एक फील्ड अस्पताल के अग्र शल्य केंद्र (एफ एस सी) को तांगधर में स्थानांतरित कर दिया गया। अस्पतालों के इस पुनः स्थानांतरण से तांगधर स्टेशन में वस्तुतः कोई भी समर्पित अस्पताल नहीं था, क्योंकि एफ एस सी केवल फील्ड अस्पताल की एक टुकड़ी थी। एफ एस सी में कोई शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ या एनेस्थेटिस्ट तैनात नहीं थे।

यू जी ओ टी में निंरतर रिसाव के कारण मुख्यालय इन्फैन्ट्री डिवीजन ने ₹15.45 लाख की लागत पर यू जी ओ टी में भूमिगत जल के रिसाव को रोकने के लिए नींव की गहराई तक एक पुश्ता- दीवार एवं अपवाहिका का निर्माण किया (मार्च 2011)। यू जी ओ टी का निर्माण अंततः ₹138.68 लाख की लागत पर जून 2011 में पूरा किया गया तथा सितंबर 2011 में प्रयोक्ताओं को हस्तांतरित किया गया।

हमने देखा कि कोर के जी ओ सी द्वारा डी डब्ल्यू पी के पैरा 11 का आह्वान करते हुए अत्यावश्यक सैन्य और परिचालन कारणों से यू जी ओ टी के प्रावधान को संस्वीकृत किया गया था, फिर भी एम ई एस यह कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं कर सकी। अत्यावश्यक परिचालन कार्य, जो दो वर्षों के अंदर पूरा किए जाने को निर्धारित था, वह वास्तव में संस्वीकृति के 12 वर्षों के बाद ही पूरा हुआ था, जिससे परिचालन में लगे सैन्यदलों को इस प्राणरक्षक सुविधा से वंचित होना पड़ा। वह यूनिट (एम एच), जिसने यू जी ओ टी के लिए मामला प्रारंभ किया था, अन्य बातों के साथ, चिकित्सा विशेषज्ञों की उपलब्धता के आधार पर उस समय तक एक अन्य जगह पर स्थानांतरित हो चुकी थी। शल्य चिकित्सा अपेक्षित हताहतों को या तो विमान द्वारा या फिर सड़क द्वारा नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। एफ एस सी, जिसने एम एच को प्रतिस्थापित किया, के पास न तो कोई शल्यचिकित्सा विशेषज्ञ तैनात था और न ही कोई एनेस्थेटिस्ट, इसलिए ऐसे सृजित ₹1.54 करोड़ मूल्य की परिसंपत्तियाँ अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।

4.2 अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों से जल प्रभारों की गैर-वसूली

राजस्व की उगाही के लिए उत्तरदायी दुर्ग अभिंयताओं ने मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद उधमपुर, सतवारी और दीमापुर स्टेशनों पर अधिकारी श्रेणी से निम्न कार्मिकों से जल उपयोग प्रभारों की वसूली नहीं की। इसके परिणामस्वरूप ₹97.89 लाख की वसूली नही हुई।

सैन्य अभियंता सेवाओं के विनियम (आर एम ई एस) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि दुर्ग अभिंयता (जी ई) सभी राजस्व प्राप्तियों की शीघ्र उगाही के लिए उत्तरदायी है। अक्तूबर 2003 के पहले, रक्षा सेवाएं/सिविल अनुमानों से वेतन पाने वाले सभी भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय समान दर पर बिल बनाया जाना था।

अक्तूबर 2003 में, मंत्रालय ने भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जल उपयोग प्रभारों की वसूली की दरों को समीपस्थ कॉलोनियों में रहने वाले सामान्य जन से स्थानीय राज्य जल बोर्ड/जल आपूर्ति अभिकरण द्वारा की जाने वाली प्रचलित वसूली की दरों से संशोधित कर दिया। हालांकि सेवा कार्मिकों से ये प्रभार उपरोक्त निर्धारित दरों की आधी दरों पर वसूल किए जाने थे।

मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के बावजूद हमने देखा कि उत्तरी कमान में, उधमपुर और सतवारी स्टेशनों पर एम ई एस द्वारा पी बी ओ आर से जल उपयोग प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे थे, हालाँकि अधिकारियों एवं सिविलियनों से वसूली की जा रही थी। परिणामस्वरूप 2008-09 और 2013-14 की अवधि के लिए 3646 पी बी ओ आर आवासों के अधिभोगियों के प्रति ₹58.81 लाख के जल उपयोग प्रभार बकाया थे। इसी प्रकार पूर्वी कमान में सैन्य स्टेशन दीमापुर पर भी ऐसी अनियमितता देखी गई थी, जहाँ जल प्रभार वसूल नहीं किए जा रहे थे। 2008-09 से 2014-15 तक की अवधि के लिए ऐसी वसूली की राशि ₹39.08 लाख तक है।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर बिल जारी करने के लिए उत्तरदायी जी ई उधमपुर के सहायक लेखा अधिकारी (ए ए ओ) ने बताया कि गैर- वसूली संबंधित बैरक भंडार अधिकारी से वसूलियों का विवरण प्राप्त न होने के कारण था। जी ई सतवारी ने पी बी ओ आर से जल प्रभारों की वसूली लेखापरीक्षा में उसके संबंध में इंगित किए जाने के बाद आरंभ करने की पुष्टि की। जी ई दीमापुर ने तथापि बताया कि 10.07.2007 को जारी क्वार्टर मास्टर जनरल, सेना मुख्यालय (क्यू एम जी) के निर्देशों के अनुसार पी बी ओ आर जल की निःशुल्क आपूर्ति के लिए हकदार हैं।

यद्यपि उधमपुर और सतवारी के जी ई ने प्रणाली की विफलता को स्वीकार किया था, फिर भी जी ई दीमापुर द्वारा दिया गया उत्तर वस्तुतः तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का अधिक्रमण निम्नतर प्राधिकारी अर्थात क्यू एम जी के

निर्देशों से नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 में क्यू एम जी ने भी स्पष्ट किया था कि अक्तूबर 2003 के एम ओ डी के नीति निर्देशों के अनुसार सेवा कार्मिकों से वसूली की जाए।

अतः यह मामला प्रकट करता है कि उधमपुर, सतवारी और दीमापुर से संबंधित जी ई पी बी ओ आर से जल उपयोग प्रभार वसूल करने में विफल रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹97.89 लाख की गैर-वसूली हुई।

यह मामला जनवरी 2016 में मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2016)।